संख्या-79/2022/2495/22-2-2021-17(947)/2021

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 16 जून, 2022*

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुरेन्द्र यादव पुत्र श्री लालजी यादव, निवासी जनपद-कैमुर भभुआ(बिहार) की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34293/प्रोबे0-5-दया0 बैठक 09.09.2021, दिनांक 27.10.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी सुरेन्द्र यादव पुत्र श्री लालजी यादव, निवासी-ग्राम-भानपुर,थाना-दुर्गावती,जनपद-कैमुर भभुआं(बिहार), का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनांक 22.01.2002 को 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर राजश्री यादव को प्रयोगात्मक परीक्षा दिलाने के बहाने से बुला ले गया और उसके साथ बलात्कार कर उसकी हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-386/2002, में भा0द0वि0 की धारा-302, 376, 201 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/दुतगामी न्यायालय सं0-03, वाराणसी के दण्डादेश आदेश दिनांक 25.09.2006 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 28.04.2021 तक 19 वर्ष, 05 माह, 21 दिन की अपरिहार सजा तथा 24 वर्ष, 05 माह, 01 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस आयुक्त, वाराणसी द्वारा बंदी के जघन्य अपराध कारित किये जाने एवं बदी के भविष्य में पुन: अपराध किये जाने के दृष्टिगत बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बंदी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, बंदी की उम्र 52 वर्ष तथा जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस आयुक्त, वाराणसी द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओ पर सम्यक् विचारोपरान्त बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी सुरेन्द्र यादव (बन्दी संख्या-247/2007) पुत्र श्री लालजी यादव, निवासी जनपद-कैमुर भभुआ(बिहार) की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-79/2022/2495(1)/22-2-2021 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-कैमुर भभुआ(बिहार) ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।